



# कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश वन निगम

[www.upforestcorporation.in](http://www.upforestcorporation.in)

21/475 इन्दिरा नगर लखनऊ

फैक्स न० 0522-2716609

फोन न० 0522-2716603

पत्राक.....

दिनांक.....

## उत्तर प्रदेश वन निगम आवासीय परिसर इन्दिरानगर एवं गोमतीनगर में आवासों की आन्तरिक पुताई हेतु निविदा की शर्तः—

1. ई0निविदा सूचना तथा निविदा प्रपत्र U.P. Government e-procurement की Website <http://etender.up.nic.in> पर उपलब्ध है।
2. ई0निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 500 एवं जी0एस0टी0 रू0 90/.कुल रू0 590.00 का राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/डी0डी0 के रूप में जो प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के पक्ष में निर्गत हो, का स्कैण्ड कापी आनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है।
3. ई0निविदा के साथ रू0 15000.00 (रू0 पन्द्रह हजार रू0 मात्र) धरोहर धनराशि के रूप में राष्ट्रीकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट/डी0डी0 के रूप में जो प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 वन निगम के पक्ष में निर्गत हो, का स्कैण्ड कापी आनलाइन अपलोड करना अनिवार्य है।
4. ई0निविदा प्रपत्र एवं निविदा भरने हेतु Website <http://etender.up.nic.in> पर दिनांक 20.03.2018 को सांय 5:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।
5. ई0निविदा दिनांक 21.03.2018 को सांय 3:00 बजे सक्षम अधिकारी द्वारा खोली जाएगी।
6. ई0निविदा के साथ सरकारी विभाग में पंजीकरण का प्रमाण-पत्र, सिविल कार्यों का पंजीकरण प्रमाण-पत्र, फर्म का पैन, चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण-पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण-पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
7. निविदादाता को रू0 100/- के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर एक रू0 का रसीदी टिकट लगाकर अनुबन्ध लिखना होगा कि दरें एक वर्ष तक मान्य होगी।
8. निविदादाताओं को निविदा के साथ अपलोड किए गये समस्त प्रपत्र मूल में प्रभागीय प्रबन्धक (मु0), उ0प्र0 वन निगम, 21/475 इन्दिरानगर, लखनऊ कार्यालय में बिड खोलने के एक दिन पूर्व पंजीकृत डाक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य है। ऐस न होने पर निविदा निरस्त कर दिया जाएगा।
9. शर्त निविदाए मान्य नहीं होगी।
10. सफल निविदादाता को फोन अथवा डाक द्वारा अनुमोदन सूचना दी जाएगी।
11. समस्त कार्य कार्यादेश जारी होने के 90 दिनों की अवधि के अन्दर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
12. निर्धारित अवधि के अन्दर कार्य पूर्ण न होने पर रू0 100.00 प्रतिदिन का आर्थिक दण्ड भुगतान से काट लिया जायेगा।
13. निविदा स्वीकृत करने वाले अधिकारी को यह पूर्ण अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताए निरस्त कर सकता है।
14. विवाद की दशा में क्षेत्रीय प्रबन्धक (मुख्यालय) आर्बीट्रेटर होंगे जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

  
प्र. अधिकारी (मु०)  
उ०प्र० वन निगम  
लखनऊ

प्रभागीय प्रबन्धक (मुख्यालय)  
उ०प्र० वन निगम लखनऊ।



## कार्यालय प्रबन्ध निदेशक

उत्तर प्रदेश वन निगम

[www.upforestcorporation.in](http://www.upforestcorporation.in)

21/475 इन्दिरा नगर लखनऊ

फैक्स न० 0522-2716609

फोन न० 0522-2716603

### निविदादाता का विवरण

संलग्न सावधि जमा/राष्ट्रीय बचत पत्रों का विवरण:-

क्रमांक.....दिनांक.....

जारीकर्ता.....

दिनांक:-

निविदादाता के हस्ताक्षर.....

नाम.....

स्थायी पता.....

.....

पत्राचार हेतु पता.....

.....

जी०एस०टी०एन०.....

सरकारी विभाग का नाम जहाँ पंजीकृत हैं.....

.....

पंजीकरण संख्या.....

मोबाइल नम्बर.....

फोन नम्बर .....

प्र. प्र. अधिकारी (सु०)

उ०प्र० वन निगम

लखनऊ